पत्रांक–21 / रा.सू.आ.–07 / 2013 सा0प्र0............... /
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह, भा.प्र.से.,
सरकार के संयुक्त सचिव।

वित्त विभाग से अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक......................................

विषयः– **राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के एक अतिरिक्त पद एवं उनके सहयोग हेतु अन्य पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4116 दिनांक 08.05.2006 द्वारा राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में अन्य पदों सहित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का एक पद एवं राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों का सृजन किया गया है। पुनः कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 8942 दिनांक 30.08.2007 द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के दो अतिरिक्त पदों एवं उनके सहयोग हेतु कतिपय अन्य पदों का सृजन किया गया है। तदुपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 9810 दिनांक 17.07.2014 से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-8942 दिनांक 30.08.2007 द्वारा सृजित राज्य सूचना आयुक्त के दो अतिरिक्त पदों एवं उनके सहयोग हेतु सृजित अन्य पदों को समाप्त किया गया है।

3. राज्य सूचना आयोग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में विदित हुआ है कि आयोग में दायर अपील वादों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। नवम्बर, 2015 तक राज्य सूचना आयोग में लंबित वादों की संख्या 44,089 (चौवालिस हजार नवासी) है। विगत 2 महीनों में इसमें और वृद्धि हुई है।

4. बिहार राज्य सूचना आयोग में अपील वादों की बड़ी संख्या, इसमें हो रही अप्रत्याशित वृद्धि एवं हजारों की संख्या में लंबित वादों को देखते हुए विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा आयोग के कार्यों एवं लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु राज्य सूचना आयोग में निम्नांकित पदों को सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
1.	आदेशपाल (आउटसोर्सिंग के आधार पर)	02 (एक)	(आउटसोर्सिंग के आधार पर)
2.	कम्प्युटर ऑपरेटर (आउटसोर्सिंग के आधार पर)	01 (एक)	(आउटसोर्सिंग के आधार पर)

5. राज्य सूचना आयुक्त के सृजित इस अतिरिक्त पद के लिए सरकारी वाहन की स्वीकृति एवं क्रय होने तक बिहार पर्यटन विकास निगम से चालक सहित एक वाहन भाड़ा पर अधिग्रहित किये जाने के फलस्वरूप निगम द्वारा निर्धारित दर पर वाहन भाड़ा का भुगतान किया जायेगा।

6. आदेशपाल के दो पदों के लिए सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसी प्रकार कम्प्युटर ऑपरेटर के पद के लिए सेवा बेल्ट्रॉन से आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

7. सृजित होने वाले पदों का व्यय भार गैर योजनान्तर्गत राज्य सूचना आयोग के कार्यालय के बजट शीर्ष 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यालय, उप शीर्ष-0002-राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, विपत्र कोड N 2251000920002 से विकलनीय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21/रा॰सू॰आ॰–07/2013 सा0प्र0............../पटना, दिनांक..

प्रतिलिपिः–दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21/रा॰सू॰आ॰–07/2013 सा0प्र0............../पटना, दिनांक..

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21/रा॰सू॰आ॰–07/2013 सा0प्र0 ~~3567~~ 3575 /पटना, दिनांक 9.3.16

प्रतिलिपिः–सभी प्रधान सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/आई॰ टी॰ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।